न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
71/अपील/2019	18.09.2019	20.11.2019

नारायण आ. छीतर जाति मीणा निवासी रूधा का बाड़ा ग्राम नेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.) – अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0) – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.10.2018
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से – श्री कन्हैया लाल मीणा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 02 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम रूधा का बाड़ा ग्राम नेत तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 200/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ

न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश कब्जे की जांच किये बिना ही पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का भौतिक रूप से कोई जांच नहीं की गई है। अपीलान्ट का किसी भी सिवायचक भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है। अपीलान्ट ने पूर्व में कब्जा किया था। जिस पर अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर जो निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती बाबत् निर्णय करने से पूर्व कोई साक्ष्य व रेकार्ड की जांच नहीं की गई है। अपीलान्ट की तामील विधिवत् नहीं हुई है। अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को कोई साक्ष्य व दस्तावेज व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसको सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस जारी किया है लेकिन अपीलान्ट बावजूद तामील नोटिस के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिये अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का कोई दोष नहीं है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि

अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)